जयवीर सिंह बनाम हरियाणा-उर्बन विकास

227

प्राधिकरण और अन्य (जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

जसगुरप्रीत सिंह पुरी से पहले, जे.

जयवीर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और

अन्य-उत्तरदाता

2014 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15893

18 जनवरी, 2024

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 1-कार्यालय आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका और याचिकाकर्ता के नाम/पदनाम को जल पंप परिचर से जल पंप प्रचालक में संशोधित करने का निर्देश, जैसा कि शुरू में लगाया गया था और सेवाओं के नियमितीकरण को जल पंप प्रचालक में बदलने के लिए-जैसा कि कनिष्ठों के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है जब समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समान लाभ दिए जाते हैं। विवादित नहीं-याचिकाकर्ता ने दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति से लेकर अपनी सेवा के नियमित होने तक जल पंप संचालक के कर्तव्यों का पालन किया। एक बार जब याचिकाकर्ता ने जल पंप संचालक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन किया-नामकरण को बदलकर लाभ से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। याचिकाकर्ता के मैट्रिक नहीं होने के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा इनकार-अनुचित। नियुक्ति या नियमितीकरण के समय किसी भी शैक्षणिक योग्यता के लिए कानून का कोई प्रावधान या कोई सेवा नियम प्रदान नहीं किया गया है। याचिका की अनुमति दी गई। वेतन का बकाया 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 38 महीने की कार्यवाही याचिका तक सीमित है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त के अलावा, एक बार इसी तरह के अन्य व्यक्तियों, जैसे कि कुलदिप सिंह और राजिंदर प्रसाद को भी जल पंप संचालक के पद पर नियुक्त होने का लाभ दिया गया है, हालांकि उन्हें पहले जल पंप परिचर के पद पर भी नियमित किया गया था, तो वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने जल पंप संचालक के कर्तव्यों का पालन उस समय से किया जब उसे दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद भी जब उसकी सेवाओं को नियमित किया गया था और इसलिए एक बार जब याचिकाकर्ता ने जल पंप संचालक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तो नामकरण को बदलकर उसे किसी भी लाभ से वंचित करने का कोई सवाल ही नहीं था। उपरोक्त के अलावा, उस समय भी जब याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कानूनी नोटिस पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था, उत्तरदाताओं द्वारा एक विशिष्ट जवाब दायर किया गया था जिसमें 228 हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस तरह से भरोसा किया गया और उत्तर के पैरा संख्या 2 में, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी-हुडा द्वारा यह इस तरह से स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में जल पंप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए, जहां तक यह तथ्य है कि जब उसे दैनिक मजदूरी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उसे जल पंप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था, भले ही रिकॉर्ड पर कोई नियुक्ति पत्र उपलब्ध न हो, फिर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने में प्रतिवादी-हुडा की कार्रवाई जल पंप संचालक के रूप में नहीं बल्कि पंप उपस्थित के रूप में की गई थी। अनुलग्नक पी-3 के अनुसार यह कानून के विपरीत है और पूरी तरह से विकृत प्रकृति का है। इस तरह की कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता था अगर इसके लिए कोई कारण होता। एकमात्र कारण जो अब उत्तरदाताओं ने कहा है कि याचिकाकर्ता वाटर पंप ऑपरेटर के पद के लिए योग्य नहीं था क्योंकि वह केवल मैट्रिक था। याचिकाकर्ता द्वारा दिखाए गए उपरोक्त तथ्यों, विशेष रूप से आर. टी. आई. के माध्यम से प्राप्त जानकारी और यह तथ्य कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय हुडा पर कोई सेवा नियम लागू नहीं थे या उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था, को देखते हुए उपरोक्त कारण उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध नहीं है और इसलिए, कानून या किसी भी सेवा नियम का कोई प्रावधान नहीं था जो उस समय किसी भी शैक्षिक योग्यता के लिए प्रदान किया गया था जब उन्हें नियुक्त किया गया था या उन्हें नियमित किया गया था।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता। आर. एस. लोंगिया, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के दिनांकित 22.07.2013 (अनुलग्नक पी-8) के कार्यालय आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई है, जिसमें मंडमस की प्रकृति में एक रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के नाम को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। 950-1400 (पूर्व-संशोधित) क्योंकि वह शुरू में लगे हुए थे और पूरे समय इस तरह से काम कर रहे थे और अपनी सेवाओं के नियमितीकरण को जल पंप संचालक में परिवर्तित करने के लिए भी, विशेष रूप से जब ऐसा अन्य व्यक्तियों के साथ किया गया है जो याचिकाकर्ता के कनिष्ठ हैं, अनुलग्नक पी-5 के माध्यम से और परिणामी लाभों के साथ 07/18.03.1996 दिनांकित सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए।

जयवीर सिंह बनाम हरियाणा-उर्बन विकास

229

प्राधिकरण और अन्य (जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

(2) वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 23.05.1988 पर जल पंप संचालक के रूप में दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था और रखा गया था। उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई नियुक्ति पत्र या सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था क्योंकि उन्हें और कुछ अन्य व्यक्तियों को उस समय प्रत्यर्थी-विभाग की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। याचिकाकर्ता के पास 10+1 की शैक्षणिक योग्यता है। उपरोक्त जल पम्प प्रचालक की श्रेणी को श्रेणी 'सी' श्रेणी कहा गया है जो श्रेणी III पद के बराबर है। याचिकाकर्ता की सेवाओं को 30.04.1997 पर नियमित किया गया था। उनकी सेवाओं को 750-12-875-EB-14-940-के वेतनमान में पंप परिचर के पद के संवर्ग में नियमित किया गया था। इस तरह, नामकरण के बीच एक अंतर था क्योंकि पहले उन्हें जल पंप संचालक के रूप में दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन उनकी सेवाओं को पंप परिचर के नामकरण में नियमित किया जाता था। हालांकि, दोनों पदों की श्रेणी में अंतर था। जल पम्प प्रचालक को तृतीय श्रेणी में बताया गया है जबकि जल पम्प परिचर को चतुर्थ श्रेणी में बताया गया है। उपरोक्त अनुलग्नक पी-3 का प्रासंगिक भाग जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित किया गया था, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

राज्य सरकार के संदर्भ में कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप। No.6/38/905/2GSI दिनांक 07.03.1996 18.03.1996 का पत्र और 'राज्य सरकार' द्वारा उनके पत्र No.1/16/96/1 TCP दिनांक 15.04.1997 के माध्यम से दी गई मंजूरी के संदर्भ में आपको Rs.750-12-875-EB-14-940/- के वेतनमान में निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर 19.03.1997 से प्रभावी पंप ध्यान के पद के नियमित संवर्ग में लाया जाता हैः - क्रम संख्या 1 से 12: प्रासंगिक नहीं है।

एसडी/-

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

हुडा प्रभाग संख्या 1

गुरगांव "(3) इसलिए याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी-हुडा की कार्रवाई से व्यथित था क्योंकि उसे पहले दैनिक मजदूरी के आधार पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि उस समय जब उसे नियमित किया गया था

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

वर्ष 1997 में, उन्हें जल पंप परिचर के पद पर नियमित किया गया था जो एक चतुर्थ श्रेणी का पद था और इसलिए, उन्होंने कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ 2001 का सी. डब्ल्यू. पी. No.7817 दाखिल किया। उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा 02.03.2013 पर अनुलग्नक पी-7 के माध्यम से अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके दिनांकित 19.10.2012 के कानूनी नोटिस पर किए गए दावे पर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी-हुडा ने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-8 के माध्यम से एक बोलने वाला आदेश पारित किया, जिसमें उपरोक्त रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था। विवादित आदेश के माध्यम से हुडा द्वारा यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी श्रेणी में जल पंप परिचर के रूप में नियमित किया गया था क्योंकि वह तृतीय श्रेणी के पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता था और वह चतुर्थ श्रेणी के पद पर दैनिक मजदूरी के रूप में शामिल हुआ था और इसलिए उन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाना आवश्यक था और इसलिए, उन्हें 1997 से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित प्रतिष्ठान में लाया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि उन्हें तृतीय श्रेणी के पद पर लाया गया था क्योंकि उनके पास दिनांक 1 और 2 के निर्देशों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता थी, लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ता और उपरोक्त रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं के पास तृतीय श्रेणी के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी और इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त कुलदिप सिंह के समान नहीं था। अतः उपरोक्त आक्षेपित आदेश में यह कहा गया था कि नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता श्रेणी III कर्मचारी के पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करने में विफल था और इसलिए, याचिकाकर्ता को पंप परिचर डब्ल्यूपीओ (एच) के पद पर सही ढंग से नियुक्त किया गया था। उपरोक्त आदेश को पढ़ने से एक और बात सामने आई है कि पंप परिचर के पद की तुलना डब्ल्यू. पी. ओ. (एच.) से की गई है, जिसे डब्ल्यू. पी. ओ. से अलग बताया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता अपना दावा कर रहा है। (4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कींः -

(i) उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब उपरोक्त रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, तो कार्यकारी इंजीनियरिंग ने उपरोक्त रिट याचिका पर लिखित बयान दायर किया था जिसे अब वर्तमान याचिका के साथ अनुलग्नक पी-14 के रूप में संलग्न किया गया है। उत्तर के पैरा सं. 2 में, प्रत्यर्थी-हुडा द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता जो उपरोक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता सं. 4 थे, उन्हें जल पंप जयवीर सिंह बनाम हरियाणा शहरी विकास के रूप में नियुक्त किया गया था।

231

प्राधिकरण और अन्य (जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

उन्होंने प्रस्तुत किया कि अब बोलने के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-हुडा यू-टर्न नहीं ले सकता है और यह नहीं कह सकता है कि याचिकाकर्ता को जल पंप संचालक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी पक्ष के रिकॉर्ड पर कोई नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं है और न ही इसके संबंध में कोई रिकॉर्ड है और इसलिए अब प्रतिवादी-हुडा को जवाब दाखिल करने के बाद इस संबंध में याचिकाकर्ता को लाभ देने से इनकार कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पहले दायर किया गया कोई गलत जवाब होता तो याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार गलत जवाब दाखिल करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। (ii) उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा पहले वर्ष 1992 में हुडा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी यूनियन द्वारा वाटर पंप ऑपरेटर और पंप अटेंडेंट के पद की बराबरी के संबंध में उठाया गया था और अनुलग्नक पी-9 के माध्यम से, मुख्य अभियंता, हुडा, मणिमाजरा द्वारा अधीक्षण अभियंता, हुडा सर्कल, पंचकूला को उपरोक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक पत्र जारी किया गया था और उसके बाद, अनुलग्नक पी-9/ए के माध्यम से, मुख्य अभियंता, हुडा, मणिमाजरा द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी जिसमें यह कहा गया था एक सचेत निर्णय के माध्यम से इतना विशेष रूप से निर्णय लिया गया है कि पंप ऑपरेटर/पंप अटेंडेंट (अनुलग्नक में टाइपिंग त्रुटि लेकिन याचिका के पैरा 12 (iii) में भी पुनः प्रस्तुत) की सभी श्रेणियों को समान रूप से पंप ऑपरेटर माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका के पैरा No.11 में यह कहते हुए एक विशिष्ट कथन किया गया था कि 232

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

((3) विद्वान वकील ने एक दूसरे के समान स्थिति वाले व्यक्ति के मामले का भी उल्लेख किया, जिसका नाम है, कुलदिप सिंह, जिसे भी याचिकाकर्ता के समान लाभ दिया गया है क्योंकि वह भी मैट्रिक पास था और उसे जल पंप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद उसे पंप परिचर के रूप में नियमित कर दिया गया और बल्कि उपरोक्त कुलदिप सिंह वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी-6) के अनुसार याचिकाकर्ता से कनिष्ठ था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दो व्यक्तियों, जैसे कि पूर्व में कहा गया है, कुलदिप सिंह और राजिंदर प्रसाद से संबंधित भेदभाव के मुद्दे पर भी याचिकाकर्ता इसी तरह की राहत का हकदार है। ((iv) विद्वान वकील ने अनुलग्नक पी-16 का भी उल्लेख किया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा जल पंप संचालक की योग्यता के संबंध में आर. टी. आई. के माध्यम से एक विशिष्ट जानकारी मांगी गई थी, जिसमें अधीक्षक अभियंता द्वारा उपरोक्त जानकारी में विशेष रूप से जवाब दिया गया था कि जल पंप संचालक के वेतनमान के साथ मैट्रिक की योग्यता थी। 950-जयवीर सिंह बनाम हरियाणा-शहरी विकास

233

प्राधिकरण और अन्य (जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

2. हुडा के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी से संबंधित सेवा नियम दिनांक 16 मार्च, 2009 को अधिसूचित किए गए थे। (v) विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने दिनांक 04.09.2019 के आदेश के माध्यम से हुडा से जल पंप संचालक के रूप में याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, जिसका उल्लेख हलफनामे में किया जाना चाहिए था, जिसे उन्हें दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उत्तरदाताओं ने एक जवाब दायर किया जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा यह जवाब दिया गया है कि हुडा पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के पैटर्न को अपना रहा था और वे हरियाणा लोक निर्माण विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा कैडर सर्कल मैकेनिकल एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप-सी एंड डी सेवा नियम, 1998 द्वारा शासित थे और नियम 15 के अनुसार, 234 के पद के लिए योग्यताएँ।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

मोटर/ट्रैक्टर/डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल/वायरमैन के व्यापार में वाटर पंप ऑपरेटर मैट्रिक और आईटीआई था। इसके बाद, हुडा ने वर्ष 2009 में सेवा नियम जारी किए थे जिसमें क्रमिक No.34 के अनुसार, वाटर पंप ऑपरेटर के पद के लिए योग्यता को मैट्रिक और आईटीआई के रूप में उल्लेख किया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जहां तक उपरोक्त हरियाणा लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य शाखा कैडर मैकेनिकल एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप-सी एंड डी सर्विस रूल्स, 1998 का संबंध है, वही वर्तमान याचिकाकर्ता पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं और न ही उत्तरदाताओं द्वारा अपने जवाब में यह दिखाने के लिए कुछ भी संलग्न किया गया है कि उन्होंने इसे कब अपनाया है और यहां तक कि अन्यथा भी तर्कों के लिए, वे लागू थे, फिर भी वे नियम 1998 के हैं जबकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को वर्ष 1997 में नियमित किया गया था और इसलिए, उस समय उपरोक्त नियमों को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं था। सभी। जहां तक हुडा प्राधिकरण (समूह-सी और डी), नियम, 2009 का संबंध है, वे बहुत बाद में बनाए गए थे और इसलिए, वे वर्तमान याचिकाकर्ता पर भी लागू नहीं थे क्योंकि उपरोक्त नियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किए गए हैं और यह याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय था, प्रासंगिक नियमों पर विचार किया जाना है न कि किसी भी नियम पर जो कई वर्षों के बाद घोषित किए गए हैं और इसलिए इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-हुडा को दिए गए प्रश्न के लिए यह बहुत स्पष्ट है कि उस समय जब याचिकाकर्ता को शुरू में नियुक्त किया गया था। दैनिक मजदूरी पर और उसके बाद वर्ष 1997 में नियमित किए गए, कोई भी सेवा नियम नहीं थे जो प्रतिवादी-हुडा पर लागू होते हैं और इसलिए, जिन उत्तरदाताओं ने पात्रता का सवाल भी उठाया है, वे गलत और विकृत थे और उठाए नहीं जा सकते थे और इसलिए, याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर जल पंप संचालक के रूप में नियुक्ति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था कि उसके पास शैक्षिक योग्यता नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी आर. टी. आई. रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-16) के अनुसार मैट्रिक की योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी जल पंप संचालक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य था।

जयवीर सिंह बनाम हरियाणा-उर्बन विकास

235

प्राधिकरण और अन्य (जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

(5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति का संबंध है, हुडा द्वारा दायर उत्तर को देखते हुए इसे विवादित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को वर्ष 1997 में नियमित किया गया था और वर्तमान याचिका वर्ष 2014 में दायर की गई है और इसलिए, यह देरी और रुकावटों से प्रभावित है और इसलिए, यह बनाए रखने योग्य नहीं है।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(7) पक्षकारसभक लेल विद्वान वकीलक बात सुनलाक बाद आ रिकॉर्डक एक व्यक्तिगत विवरणक बाद, ई स्पष्ट होयत जे ओहि समय जखन याचिकाकर्ता केँ दैनिक वेतन पर 23.05.1988 पर नियुक्त कयल गेल छल, याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र आदि सँ संबंधित एहन कोनो रिकॉर्ड उपलब्ध नहि अछि मुदा उत्तरदातासभ द्वारा उपरोक्त स्थितिसँ इनकार नहि कयल गेल अछि। वाटर पंप ऑपरेटर का उपरोक्त पद तृतीय श्रेणी का पद बताया गया है। इसके बाद वर्ष 1997 में, अर्थात अनुलग्नक पी-3 के अनुसार, याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित किया गया, लेकिन पंप परिचर के नामकरण पर। उस समय, कोई सेवा नियम नहीं थे जो प्रतिवादी-हुडा पर लागू होते थे। प्रतिवादी-हुडा द्वारा अपने पूरक उत्तर में जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, वे या तो वर्ष 1998 में बनाए गए थे जो हरियाणा लोक निर्माण विभाग पर लागू थे या सेवा नियम जो हुडा से संबंधित थे, वे वर्ष 2009 के थे और इसलिए जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता का संबंध है, उन नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। जहां तक प्रतिवादी-हुडा द्वारा याचिकाकर्ता की योग्यता के संबंध में अपने जवाब में उठाई गई आपत्ति का संबंध है कि क्योंकि वह केवल मैट्रिक था और वह आई. टी. आई. नहीं था, इसलिए उसे जल पंप संचालक के तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था, प्रतिवादी-हुडा द्वारा उठाई गई आपत्ति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ नहीं है कि स्वयं मुख्य अभियंता द्वारा अनुलग्नक पी-9 और पी-9/ए द्वारा जारी पत्र और स्पष्टीकरण के अनुसार, दोनों पद समान थे और यहां तक कि उपरोक्त पत्र पर भरोसा करते हुए भी, दोनों पदों में से एक को लाभ प्रदान किया गया है। समान रूप से स्थित व्यक्ति, अर्थात् राजिंदर प्रसाद और अब वर्तमान याचिकाकर्ता को उपरोक्त अनुलग्नक पी-9/ए लागू नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्राप्त आर. टी. आई. जानकारी के अनुसार, योग्यता को मैट्रिक भी कहा गया है, लेकिन आई. टी. आई. की बढ़ी हुई योग्यता के मामले में अलग-अलग वेतनमान प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों में, अभिलेख पर या प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता क्यों 236

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जल पम्प परिचालक के पद पर नियुक्त नहीं होने के लिए उस समय किसी भी नियम के तहत या कानून के किसी भी प्रावधान के तहत योग्य नहीं था जो वर्ग III की श्रेणी में आता है। (8) उपरोक्त के अलावा, एक बार इसी तरह के अन्य व्यक्तियों, जैसे कि कुलदिप सिंह और राजिंदर प्रसाद को भी जल पंप संचालक के पद पर नियुक्त होने का लाभ दिया गया है, हालांकि उन्हें पहले जल पंप परिचर के पद पर भी नियमित किया गया था, तो वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने जल पंप संचालक के कर्तव्यों का पालन उस समय से किया जब उसे दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद भी जब उसकी सेवाओं को नियमित किया गया था और इसलिए एक बार जब याचिकाकर्ता ने जल पंप संचालक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तो नामकरण को बदलकर उसे किसी भी लाभ से वंचित करने का कोई सवाल ही नहीं था। उपरोक्त के अलावा, उस समय भी जब याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कानूनी नोटिस पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था, तो प्रतिवादियों द्वारा एक विशिष्ट उत्तर दायर किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तरह भरोसा किया है और उत्तर के पैरा संख्या 2 में जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, प्रत्यर्थी-हुडा द्वारा इस तरह से स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में भी जल पंप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए, जहां तक यह तथ्य है कि उस समय जब उसे दैनिक मजदूरी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे जल पंप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था। यद्यपि अभिलेख पर कोई नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं है, फिर भी याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने में प्रत्यर्थी-हुडा की कार्रवाई जल पंप संचालक के रूप में नहीं, बल्कि अनुलग्नक पी-3 के माध्यम से एक पंप परिचर के रूप में कानून के विपरीत है और पूरी तरह से विकृत प्रकृति की है। इस तरह की कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता था अगर इसके लिए कोई कारण होता। एकमात्र कारण जो अब उत्तरदाताओं ने कहा है कि याचिकाकर्ता वाटर पंप ऑपरेटर के पद के लिए योग्य नहीं था क्योंकि वह केवल मैट्रिक था। याचिकाकर्ता द्वारा दिखाए गए उपरोक्त तथ्यों, विशेष रूप से आर. टी. आई. के माध्यम से प्राप्त जानकारी और यह तथ्य कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय हुडा पर कोई सेवा नियम लागू नहीं थे या उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था, को देखते हुए उपरोक्त कारण उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध नहीं है और इसलिए, कानून या किसी भी सेवा नियम का कोई प्रावधान नहीं था जो उस समय किसी भी शैक्षिक योग्यता के लिए प्रदान किया गया था जब उन्हें नियुक्त किया गया था या उन्हें नियमित किया गया था।

(9) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जयवीर सिंह बनाम हरियाणा शहरी विकास

237

प्राधिकरण और अन्य (जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

(10) याचिकाकर्ता वेतन के बकाया के लिए भी हकदार होगा जो हालांकि वर्तमान रिट याचिका दायर करने की तारीख से पहले 38 महीने तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ सीमित होगा। रिपोर्टर-सुब्रत कौर